उत्तर प्रदेश शासन

गृह (गोपन) अनुभाग-3

संख्याः 5/I/511052/ सी0एक्स 0-3

लखनऊः दिनाँक 04 मार्च, 2024

**<u>अधिसूचना</u>**

चूँकि नीचे अनुसूची में नामित और सविस्तार वर्णित भू-गृहादि ऐसा स्थान है, जिसका प्रयोग बीना रिफाइनरी, मध्य प्रदेश से पनकी, कानपुर नगर टर्मिनल तक भूमिगत पाइपलाइन द्वारा पेट्रोलियम पदार्थों, डीजल/पेट्रोल की आपूर्ति के लिए किया जाता है;

और चूंकि उससे सम्बन्धित या उसके नष्ट होने या उसमें रूकावट या विघ्न पड़ने की सूचना से शत्रु को लाभ पहुँचेगा :

और चूँकि भारत का संविधान के अनुच्छेद 258 के खण्ड (1) के अनुसरण में, गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने, भारत के गजट, असाधारण दिनाँक 11 मई, 1963 के भाग दो की धारा 3 की उपधारा (दो) में प्रकाशित अधिसूचना संख्या-एस 0 ओ 0 1285 दिनाँक 04 मई, 1963 द्वारा शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 (अधिनियम संख्या 19 सन् 1923) की धारा 2 के खण्ड (8) के उपखण्ड (ग) तथा (घ) में विनिर्दिष्ट किसी मामले के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार के कृत्यों को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को न्यस्त किया है

अतएव, अब, गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या-एस0ओ0-1285, दिनाँक 04 मई, 1963 के साथ पठित शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 [अधिनियम संख्या 19 सन् 1923] की धारा-2 के खण्ड (8) के उपखण्ड (घ) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल नीचे दी गयी अनुसूची में नामित और सविस्तार वर्णित भू-गृहादि को पूर्वोक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक "प्रतिषिद्ध स्थान" घोषित करती हैं और राज्यपाल अग्रतर यह निदेश देती हैं कि इस अधिसूचना की एक प्रति अंग्रेजी में और उस स्थान की जनभाषा में उक्त भू-गृहादि पर लगायी जायेगी।

**<u>अनुसूची</u>**

| **प्रतिषिद्ध स्थान का नाम और विनिर्देश** | |
|---|---|
| सेक्शनलाइज्ड वाल्व स्टेशन-6, ग्राम-कुडरी, तहसील-गरौठा, जिला झांसी, उत्तर प्रदेश | |
| पूर्व में- | गाटा संख्या-702, प्रहलाद, चुखर, वसन्ते आदि । |
| पश्चिम मे | गाटा संख्या-620 एवं 630 ननू, छोटे। |
| उत्तर में | गाटा संख्या-626- रामनाथ आदि। |
| दक्षिण में- | गाटा संख्या-629 धर्मेद्र सिंह आदि। |

आज्ञा से,

ह0/

(ए0 वी0 राजामौलि)

सचिव

---

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

**UTTAR PRADESH SHASAN**
**GOPAN ANUBHAG-3**

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification no. 5/I/511053 /2023-CX-3, dated March 04 , 2024 for general information.

**NOTIFICATION**

**No. 5/I/511053 /2023-CX-3**

**Lucknow**; **Dated: March 04, 2024**

**WHEREAS** the premises named, detailed and described in the Schedule below is a place used for supplying petroleum products, diesel/ petrol from Bina Refinery, Madhya Pradesh to Panki, Kanpur Nagar Terminal through Under Ground pipeline ;

**AND WHEREAS** an information with respect thereto, or the destruction or obstruction thereof, or interference therewith, would be useful to an enemy ;

**AND WHEREAS** in pursuance of clause (1) of Article 258 of the Constitution of India, the Ministry of Home Affairs, Government of India has vide Notification no. S.O.1285 dated 4 th May, 1963, published in Part II, section 3, sub -section (ii) of the Gazette of India, Extraordinary dated 11 th May, 1963, entrusted the functions of the Central Government to the State Government of Uttar Pradesh in relation to any matter specified in sub-clauses (c) and (d) of clause (8) of section 2 of the Official Secrets Act, 1923 (Act no.19 of 1923) ;

**NOW, THEREFORE** , in exercise of the powers under sub-clause (d) of clause (8) of section 2 of the Official Secrets Act, 1923 ( Act no.19 of 1923), read with Government of India, Ministry of Home Affairs Notification no. S.O.1285, dated 04 May, 1963, the Governor is pleased to declare the premises named, detailed and described in the Schedule given below to be a **"prohibited place "** for the purposes of the aforesaid Act and the Governor is further pleased to direct that a copy of this notification in English and in the vernacular of the locality be affixed to the said premises.

**SCHEDULE**

| **Name and specifications of the Prohibited Place.** | |
|---|---|
| S.V.Station-06, Village-Kudri,Tehsil-Garautha, District-Jhansi, Uttar Pradesh. | |
| In East- | Gata No.702, Prahalad, Chukhar,Vasante etc. |
| In West- | Gata No.620 and 630-Nanu, Chhote . |
| In North- | Gata No.626- Ramnath etc. |
| In South- | Gata No.629-Dharmendra Singh etc. |

By order,

Sd/-
( **A.V. Rajamauli** )
Secretary.

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।